

76/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

11/04/25

वकील अपीलान्त अनुपास्थित। न्याय
क्षि में अपील दिनांक 15/04/25 को पेश है।

15/04/25

वकील... अपीलान्त अनुपास्थित।
पंठासीन अधिकारी... होने से प्रकरण वास्ते
सुनवाई/अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक... 21/06/25 को
सुवदिशानुसार पेश हो। 0.01

09/06/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्त एवं अपीलार्थीगण
अनुपास्थित। पेशकार सरकार अपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध
अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक
27/09/2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमें अधीनस्थ
न्यायालय, तहसीलदार सडौल द्वारा प्रकरण में भूमि किस्म
नदी से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिनांक 20/10/2020
एवं 10/08/2021 (राजकीय विलानाम भूमि पर अतिक्रमण पर
शास्ती अधिरोपण एवं वैदखली) को अचलते रखा गया है।

पेशकार सरकार द्वारा बतलाया गया कि प्रस्तुत अपील के
सथे अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील समर्थन में अपीलान्त
द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा शुरु
के ही दिनांक 06/12/2021 से निरन्तर अपस्थित चल रहे हैं।
भामले में स्पष्टतः भूमि किस्म नदी पर राजकाशतकारी
अधिनियम-1955 की धारा-16 अन्वये ऐसी भूमि पर खातेदारी
अधिकार प्रौढ्य नहीं है जो अपील निरस्तनीय है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर
के विधि की पेशानुसंग खातेदारी निषिद्ध भूमि - किस्म नदी

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

	बनाम	
--	------	--

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>पर अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपूरण में पारित निर्णय दिनांक 24/09/2021 में एम कोर्ट नुति मदीं पारित है।</p> <p>अतः प्रकरण अपीलान्त द्वारा पैरवी के अभाव में भुण्डगुण पर निरस्त किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 03/06/2025 को सैट इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैवल शुमार होकर वास्तविक रूपत है।</p> <p>03/06/2025</p> <p>संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)</p>	